

नवनीत  
24/03/19

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
॥ संकल्प ॥

पत्रांक- 2009  
दि. 24/03/19

विषय:- कोडरमा एवं झुमरीतिलैया शहर का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 25243.15 लाख (रु० दो सौ बावन करोड़ तैंतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) एवं SBM के केंद्र मद से ₹ 877.00 लाख (रु० आठ करोड़ सतहत्तर लाख) तथा राज्य योजना मद 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 10594.53 लाख (रु० एक सौ पांच करोड़ चौरानवे लाख तिरपन्न हजार) अर्थात कुल ₹ 11471.53 लाख (रु० एक सौ चौदह करोड़ इकहत्तर लाख तिरपन्न हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है । इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है ।

3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी MSW Rule 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है ।

4. OSP प्रक्षेत्र, कोडरमा एवं झुमरीतिलैया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है, जिसमें door to door collection, transportation, segregation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है । इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा प्रथम चरण की निविदा EPC Mode पर एवं दुसरे चरण की निविदा को लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है । इस योजना का 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX पर आने वाले कुल व्यय का विस्तृत विवरण तालिका - 1 में दर्ज है ।

5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है ।

6. निकायों के पास कोडरमा में 8.0 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु पर्याप्त है ।

7. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात ₹ 497.76 लाख (चार करोड़ संतान्वे लाख छिहत्तर हजार) का व्यय किया जायेगा ।

8. केन्द्रांश से कुल राशि ₹ 877.00 लाख (रु० आठ करोड़ सतहत्तर लाख) SBM योजना के तहत Mission Period, 2 Oct. 2019 तक @ 35% CAPEX एवं OPEX मद तथा @ 20% एवं ₹ 12 प्रति व्यक्ति DPR बनाने हेतु दिया जाना है ।

9. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किया जाना है ।

Nar

तालिका - 1

Koderma and Jhumaritilaya Solid Waste Management Project - Fund Flow

S. No.	Particular	Amount in ₹ Lakh
1	Total Project Cost (=1.1+1.2+1.3)	25243.15
1.1.A	Capital Cost (CAPEX) - Koderma	1195.87
1.1.B	Capital Cost (CAPEX) - Jhumaritilaya	463.35
1.1.C	Total Cost of the (CAPEX) - Koderma & Jhumaritilaya	1659.22
1.2	O & M Cost for 20 Yrs.	23368.23
1.3	Other Expenses (=1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	215.70
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	24.89
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	24.89
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	165.92
2	Total Income (=2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	13273.86
2.1	by User Charges in O&M	7705.63
2.2	by Sale of Compost in O&M	3784.31
2.3	by Sale of RDF	0.00
2.4	by Sale of Recyclable in O&M	1730.01
2.5	by Scrap Sale in O&M	53.91
3	Central Share (=3.1+3.2+3.3)	877.00
3.1	Central Share for DPR preparation @ ₹ 12 per capita	15.53
3.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	580.73
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (= 9 months)	280.74
4	Investment of PPP Operator	497.76
	Investment by private partner in CAPEX @ 30% (PPP mode)	497.77
5	Total Grant Required from State (= 5.1+5.2+5.3)	10594.53
5.1	In CAPEX	580.73
5.2	In O&M in 20 years	9813.63
5.3	In Other	200.17

2009  
24/03/17

10. SBM के राज्य योजना मद से कुल राशि ₹ 10594.53 लाख (रु० एक सौ पांच करोड़ चौरानवे लाख तिरपन्न हजार) दिया जाना है।

11. योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन मद से किया जायेगा।

Nav

*(Handwritten signatures)*

तालिका - 2

S. No.	Particulars	Amount in ₹ Lakhs
1.0	Total Project Cost	25243.15
2.0	Fund from PP partner	497.76
3.0	Central Government Share	877.00
4.0	Income from Project	13273.86
5.0	Total State Government Share (1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 )	10594.53

12. योजना की निविदा प्रक्रिया, दो अलग - अलग चरणों द्वारा पूर्ण की जाएगी :

- क. प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage एवं transfer हेतु सयंत्र एवं वाहनों का क्रय Item rate basis के द्वारा किया जायेगा, जिस पर कुल व्यय ₹ 476.25 लाख ( चार करोड़ छिहत्तर लाख पच्चीस हजार) होगी ।
- ख. दूसरी निविदा के तहत PPP Mode पर आमंत्रित किया जाना है जिसके तहत processing plant तथा landfill site का निर्माण, मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा । निविदा में Capital cost item rate basis पर तथा O&M cost Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा ।

13. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य कोडरमा एवं झुमरीतिलैया नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की कुल लागत राशि ₹ 25243.15 लाख (रू० दो सौ बावन करोड़ तैंतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) एवं SBM के केंद्र मद से ₹ 877.00 लाख (रू० आठ करोड़ सतहत्तर लाख) तथा राज्य योजना मद 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 10594.53 लाख (रू० एक सौ पांच करोड़ चौरानवे लाख तिरपन्न हजार) निकायों को 20 वर्षों में अनुदान देने एवं कार्य करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15.03.2017 को मद संख्या - 7 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव ।

जापांक- SUDA/SBM/SWM/31 - 2015...२००९... रांची, दिनांक-२४.०३.१७

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि मुद्रित संकल्प की एक सौ प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराई जाये।

सरकार के प्रधान सचिव ।

जापांक- SUDA/SBM/SWM/31 - 2015...२००९... रांची, दिनांक-२४.०३.१७

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री / प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/ PD (Technical), JUIDCO/ संबंधित आयुक्त/उपायुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी, कोडरमा एवं झुमरीतिलैया नगर निकायों/ बजट शाखा/ नोडल पदाधिकारी e - गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

